न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 172/16 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. कैलाश पुत्र लक्ष्मण

2. भोलू पुत्र लक्ष्मण जातियान अहीर, निवासीयान ग्राम खिजूरीवास तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:------- प्रतिवादी अपीलांट

बनाम

1 अब्दुल रहीम पुत्र हरिया जाति मेव निवासी ग्राम उदयपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:---- वादी रेस्पो0

1 तहसीलदार लैण्ड होल्डर, तिजारा

2 पंजाब नेशनल बैंक शाखा मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा

:--- प्रतिवादी रेस्पो0

3 कमला पुत्री लक्ष्मण जाति अहीर निवासी ग्राम खिजूरीवास तह0 तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:---प्रतिवादी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, तिजारा दिनांक 13.12.2016

उपस्थित :'1. वकील अपीलांट :– श्री विकान्त माथुर

2. वकील रेस्पो0 सं0 01 :– श्री प्रेम कुमार शर्मा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 27/8/19

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा 340/06 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.16 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट डिक्री किया गया है

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 314 रकबा 11 बिस्वा हाल नम्बर 457 रकबा 14 एयर वाके ग्राम उदयपुर तहसील तिजारा का करतारसिंह पुत्र गुरूदत्त सिंह जाति रायसिख निवासी उदयपुर तहसील तिजारा खातेदार था । उक्त करतारसिंह ने दिनांक 7.10.72 को प्रतिफल प्राप्त करके उक्त आराजी वादी के पिता को बाकब्जा बेचान कर दी । उक्त बयनामा के आधार पर वादी के पिता के नाम इंतकाल नम्बर 100 दिनांक 2.8.77 को पटवारी हल्का भरकर ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर दिया । ग्राम पंचायत ने दिनांक 22.9.77 को बयनामा के आधार वादी के पिता हरिया के नाम इंतकाल स्वीकार कर दिया । परन्तु तहसीलदार ने उक्त इंतकाल का अमल नहीं किया । इसलिये राजस्व रिकार्ड में विक्रेता करतारसिंह के नाम का अंकन होता रहा है । जिसका नाजायज फायदा उठाकर उक्त करतारसिंह ने आराजी का बेचान दिनांक 17.6.74 को प्रतिवादी संख्या 01 लक्ष्मण को कर दिया । जिसके आधार पर लक्ष्मण ने राजस्व रेकार्ड में अपने नाम का अमल करा लिया । लक्ष्मण के पक्ष में कराया गया बयनामा वादी के हकूको के प्रति बातिल व बेअसर है । अतः दावा डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने उक्त वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय द्वारा डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि हमारे पिता लक्ष्मण की खरीदशुदा भूमि है । उक्त बयनामा का राजस्व रेकार्ड में अमल होकर हम खातेदार दर्ज है । करतारसिंह ने आराजी का बाकब्जा बेचान वादी को नहीं किया । इनका बयनामा फर्जी है । बाकब्जा बेचान हमको किया गया है । हमस न 1974 से ही काबिज है । हमारी कोई बहस नहीं सुनी गई थी । अपीलाधीन निर्णय हमको सुने बिना पारित किया गया है । इसलिये यह निर्णय इललिगल है । वादी का इंतकाल नम्बर 100 कभी स्वीकार ही नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

हुआ था । इन्होंने खरीद के 5 साल बाद इंतकाल दर्ज कराया है । इनके द्वारा इतनी देरी क्यों की गई । दस्तावेजी साक्ष्य से वादी का वाद कतई साबित नहीं था । फिर भी गलत तौर पर वाद डिक्री कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि जब विवादित भूमि का बेचान पूर्व में हमको कर दिया गया था तो ऐसी स्थिति में करतारसिंह को इनके पक्ष में बयनामा कराने का कोई हक नहीं था । ऐसा बयनामा विधि विरूद्ध है । हमको आराजी का बाकब्जा बेचान किया गया था । इनको सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया था । प्रतिवादी संख्या 01 ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया है और तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित किया गया है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलांट प्रतिवादी को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । प्रतिवादी को सुने बिना पारित किया गया निर्णय अविधिक होता है । अतः इनकी सुनवाई एवं साक्ष्य ली जाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण रिमांड किया जाना न्यायसंगत समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.16 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई दिनांक 4.10.2019 को उपस्थित हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner